

बंदूक नयित्रण कानून

प्रलिमिंस के लयि:

शस्त्र (संशोधन) अधनियिम 2019 ।

मेन्स के लयि:

समाज से संबंघति चुनौतयिँ एवं मुद्दे, शस्त्र (संशोधन) अधनियिम, 2019 ।

चर्चा में क्योँ ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पछिले 11 दनिों की अवध के दौरान सामूहकि गोलीबारी की दो घटनाएँ हुई, जसिमें प्राथमकि वदियालय के बच्चों सहति 30 से अधिक लोग मारे गए ।

- अमेरिका में वर्ष 2020 में कूल 24,576 हत्याएँ दर्ज की गई, जनिमें से लगभग 79%, (19,384) मौतें गोलीबारी की वजह से हुई हैं ।
- अमेरिका में शस्त्रों का वनियिमन संघ, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य वदियमान साझा प्राधकिरण के माध्यम से कथिा जाता है ।
- अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले माना था कि अमेरिकी संवधिान का दूसरा संशोधन आत्मरक्षा के लयि "हथयार रखने और धारण करने" के अधकिार की रक्षा करता है, जबकि संघीय न्यायालयों ने संभावति उल्लंघन के संदर्भ में तर्क दयिा है कि संघीय, राज्य और स्थानीय नयिम इस अधकिार को बाधति करते हैं ।

भारत में शस्त्र नयित्रण कानून:

- **शस्त्र अधनियिम, 1959:**
 - **परचयि:** इसका उद्देश्य भारत में हथयारों और गोला-बारूद के अधगिरहण, कब्जे, नरिमाण, बकिरी, आयात, नरियात और परविहन से संबंघति सभी पहलुओं को शामिल करना है ।
 - **भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लयि अहर्ताएँ:**
 - भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लयि न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है ।
 - आवेदन करने से पाँच वर्ष पूर्व आवेदक को हसिा या नैतकिता से जुड़े कसिी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो, 'वकिृत दमिाग' का न हो, न ही सार्वजनकि सुरक्षा और शांति के लयि खतरा हो ।
 - **संपत्तियोग्यता** बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लयि एक मानदंड नहीं है ।
 - एक आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसगि प्राधकिरण (अर्थात, गृह मंत्रालय), नकिटतम पुलसि स्टेशन के प्रभारी अधकिारी को नरिधारति समय के भीतर पूरी तरह से जाँच के बाद आवेदक के बारे में एक रपिर्ट प्रस्तुत करने के लयि कहता है ।
 - **अधनियिम की अनय वशिषताएँ:**
 - यह 'नषिदिध हथयार' को उन हथयारों के रूप में परभिषति करता है जो या तो कोई भी हानकिारक तरल या गैस छोड़ते हैं, या ऐसे हथयार जनिहें चलाने के लयि ट्रगिर दबाने की आवश्यकता होती है
 - यह फसल सुरक्षा या खेल के लयि कम-से-कम 20 इंच के बैरल के साथ चकिनी बोर गन के उपयोग की अनुमति देता है ।
 - कसिी भी संस्था को ऐसी बंदूक को बेचने या स्थानांतरति करने की अनुमति नहीं है, जसि पर नरिमाता का नाम, नरिमाता का नंबर या कोई अनय दृश्यमान मुहर या पहचान चहिन नहीं लगी हो ।
- **आयुध अधनियिम में संशोधन:**
 - वर्ष 2019 में संशोधति शस्त्र अधनियिम एक व्यक्तद्वारा खरीद की जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर सकता है ।
 - लाइसेंस की वैधता को **वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष** कर दयिा गया है ।
 - यह सामाजकि सद्भाव सुनशिचति करने के लयि लाइसेंस प्राप्त हथयारों के उपयोग को कम करने के लयिवशिषिट प्रावधानों को भी **सूचीबद्ध** करता है ।
 - **सज़ा:** बनिा लाइसेंस के परतबिंधति गोला-बारूद के अधगिरहण, कब्जे या ले जाने के अपराध के लयिजुर्माने के साथ-साथ कारावास की **सज़ा को 7 से 14 वर्ष के बीच बढ़ा दयिा गया है ।**
 - यह बनिा लाइसेंस के बंदूकों की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने पर रोक लगाता है ।

- गैरकानूनी नरिमाण, बकिरी और हस्तांतरण के लिये **कम-से-कम सात साल की कैद** की सज़ा दी जा सकती है, जसै आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी ।

आगे की राह

- एक तरीका यह है कसिख्त बंदूक नयित्रण लागू कथिा जाए और सख्त रूप से प्रतबिंधति कथिा जाए ककौन हथयार खरीद सकता है या उसका मालकि कौन है । इस संबंघ में **अमेरकिी कानून** बहुत लचीले और उदार हैं ।
- भारत को भी बंदूको के अधगिरहण और कब्जे से संबंघति कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें सख्त करने की आवश्यकता है ।

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gun-control-legislation>

